बाबूलाल बनाम सालासर ओवरसीज

216/2024

13/12/24 [illegible] पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब अन्य राजकार्य में [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/12/24 को पेश हो।

20/12/24 पत्रावली पेश [illegible] आर0ओ0 साहब अन्य राज्य का[र्य] [illegible] है। अत पत्रावली पू[र्वानुसार] [illegible] दिनांक 3/1/25 को पेश हो।

3/1/25 पत्रावली पेश [illegible] साहब अन्य राज[कार्य] [illegible] है। अत पत्रावली पू[र्वानुसार] [illegible] दिनांक 10/1/25 को पेश हो।

10/1/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 उपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नहीं। उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब पेश नहीं किया है। जवाब हेतु बन्द किया जाता है। जवाब हेतु सुना गया। बहस स्थगन बहस हेतु सुनी गई। दस्तावेजात व पत्रावली का अवलोकन करने पर मुलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा स्थित खसरा नं0 326 के मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली पेशगी बाबत ... बाद तामील परिवाद नं0 से ... पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या /2024

बाबूलाल पुत्र रूपनारायण जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1 सालासर ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय बी–14,5 हीरानगर गंगा जमना तिराहा, शिप्रापथ कॉर्नर मानसरावेर जयपुर

2 भैरू पुत्र मुकन्दा जाति जाट निवासी ग्राम गणपतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मान्यवर

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि:–

1 यह कि प्रार्थीगण ने एक उक्त उनवानी वादपत्र बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया हैं जिसमे सफलता मिलने कि पूर्ण आशा हैं।

2 यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या एक व दो की संयुक्त आराजी कृषि भुमि हाल खाता सख्या 158 के हाल ख0न0 326 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम गणपतपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 3/40, तथा अप्रार्थी सख्या एक का हिस्सा 7/8, अप्रार्थी सख्या दो का हिस्सा 1/20 राजस्व रिकार्ड मे अकिंत है।

3 यह कि उक्त आराजीयात को प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक व दो मनबट के आधार पर बटवारां कर कृषि काश्त करते आ रहे है किन्तु उक्त आराजियात का अभी तक

बाबू